

-:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::-

पृष्ठांक 13142 / एक-6-2/11

18 DEC 2024
उज्जैन, दिनांक दिसम्बर, 2024


प्रतिलिपि :-

1.

(समस्त न्यायिक अधिकारीगण जिला उज्जैन)

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर द्वारा Shri Rupesh Kumar Gupta XXVI District & Additional Sessions Judge Jabalpur की C.B.I. Cases के संबंध में मुख्यालय जबलपुर हेतु विशेष न्यायाधीश के रूप नियुक्त किये जाने के संबंध में प्रेषित पृष्ठांकन क्रं. ए/7914 दिनांक 13.11.2024 मय म0प्र0 शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 4348 दिनांक 30.10.2024 प्रति सूचनार्थ, पालनार्थ प्रेषित।

संलग्न : उपरोक्तानुसार


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

Endorsement No. 12.9/4
III-6-4/57

Jabalpur, dated 13/11/2024

Notification of the Government of M.P., F. No. 4348/21-B(1)/2024 dated 30.10.2024; Bhopal, with regard to appointment of Shri Rupesh Kumar Gupta, XXVI District & Additional Sessions Judge, Jabalpur, as a Special Judge for the trial of C.B.I. Cases at Jabalpur, is forwarded to;

1. The Registrar cum PPS of Honourable Chief Justice for kind information of His Lordship;
2. The Registrar General, the Principal Registrar (Judicial), the Principal Registrar (Vigilance) and the Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for information and necessary action;
3. The Principal District and Sessions Judges, All in the State for information and necessary action;
4. District Judge, (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
5. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
6. The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur for information;
7. The Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
8. Registrar (Judicial-I), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary) for information;
9. The Registrar Confidential and the Administrative Officer, Checker Section, High Court of M.P., Jabalpur for information.

OM
CA,
13.11.24
AB

Rituraj Singh Chouhan
13/11/2024

RITURAJ SINGH CHOUHAN
REGISTRAR District Establishment

16873

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30/10/2024

फा.क्र. 4348/21-ब(एक) 2024, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं.49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्रमांक 1/5/96/21-ब(एक) 2051/2016, दिनांक 06 जून, 2016 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 जून, 2016 को प्रकाशित हुई थी, को आंशिक अतिरिक्त करते हुए तथा 1/5/96/21-ब(एक) 2252/2020, दिनांक 31 अगस्त, 2020 मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में 11 सितम्बर, 2020 को प्रकाशित हुई थी, को आंशिक अतिरिक्त करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश को उसके कॉलम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संबंधित क्षेत्र के लिए श्री आलोक कुमार सक्सेना, सतहरवें जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर के स्थान पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराधों के एवं उन अपराधों का विचारण हेतु जिनका अन्वेषण दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का सं. 25) के अधीन किया गया हो एवं जो विनिर्दिष्ट रूप से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर अथवा संबंधित जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उन्हें सौंपे गये हो, विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:-

सारणी

अनु क्रमांक	न्यायाधीश का नाम	मुख्यालय का नाम	विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
"1	श्री रूपेश कुमार गुप्ता, छब्बीसवें जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला, सागर, दमोह, सिवनी, छिंदवाड़ा, रीवा, सतना, पन्ना, सीधी, बालाघाट, शहडोल, कटनी, डिण्डोरी, उमरिया, अनूपपुर और सिंगरौली।"

NOTIFICATION

F.N. 4348 /XXI-B(one)/2024, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) and in partial supersession of this departments Notification No. 1/5/96/21-B(1)/2051/2016, dated 06th June, 2016, which was published in the Madhya Pradesh gazette Part-1 dated 17th June 2016 & in supersession of this departments Notification No. 1/5/96/21-B(1)/2252/2020, dated 31st August, 2020, which was published in the Madhya Pradesh gazette Part-1 dated 11th September, 2020, the State Government,

//2//

with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the District and Additional Sessions Judge specified in column (2) of the table below to be the Special Judge for respective area specified in the corresponding entry in column (3) thereof in place of Shri Alok Kumar Saxena, XVII District and Additional Sessions Judge, Jabalpur to try the cases relating to the offences specified under sub-section (1) of section 3 of the said Act and those investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and the Central Bureau of Investigation and which are specifically assigned to him by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur or by the District and Sessions Judge of the Concerned District, as the case may be.

TABLE

S. No.	Name of Judge	Head Quarter	Jurisdiction of Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	Shri Rupesh Kumar Gupta, XXVI th District & Additional Sessions Judge, Jabalpur.	Jabalpur	Jabalpur, Narsinghpur, Mandla, Sagar, Damoh, Seoni, Chhindwara, Rewa, Satna, Panna, Sidhi, Balaghat, Shahdol, Katni, Dindori, Umaria, Anuppur and Singrauli."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)

प्रमुख सचिव,


मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.फा.क्रमांक 4348 / 21-ब(एक) / 2024,

भोपाल, दिनांक 30/10/2024

प्रतिलिपि:-

- (1) रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, के पत्र क्रमांक सी/5310/III-6-4/57, दिनांक 20.07.2024 एवं सी/6297, दिनांक 02.09.2024 के संदर्भ में,
- (2) पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, भोपाल, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (3) उप नियंत्रक शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल (म.प्र. राजपत्र भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।
- (4) शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल, की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।



30.10.2024
(ओ.पी.रघुवंशी)
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग